UPSI010019082026

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, सीतापुर।</u>
प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–360/2026
सी.आई.एस. नं. 835/2026

बाबा रामनरेश आयु करीब 69 वर्ष पुत्र कालिका निवासी ग्राम सिरौली थाना महमूदाबाद जिला सीतापुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

मु०अ०सं०–462/2023
धारा–364 भा०दं०सं०
<u>थाना–महमूदाबाद, जिला– सीतापुर</u>।

<u>निस्तारण प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र</u>

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त बाबा रामनरेश की तरफ से अपराध संख्या 462/2023, धारा–364 भा०दं०सं०, थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 16.04.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से स्वयं का शपथ पत्र दाखिल कर कथन किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रार्थना–पत्र किसी सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन या Disposed नहीं है।

3– मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा शिवदेवी पत्नी संतोष कुमार द्वारा थाना महमूदाबाद में इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 05.11.2023 समय करीब 10 बजे दिन को उसका लड़का सुनील कुमार उम्र 16 वर्ष को गाँव के विक्रम पुत्र दुलारे पासी अपने साथ बाबा रामनरेश निवासी सिरौली थाना महमूदाबाद, सीतापुर बुलाकर ले गये थे। उसका लड़का निव साइकिल एवन लेकर गया था। काफी समय वापस नहीं आया। दिनांक 05.11.2023 को विक्रम से लड़के के बारे में पूछा तो विक्रम ने अपने बहनोई बाबा रामनरेश से फोन द्वारा बात किये। उससे विक्रम ने बताया कि बाबा के साथ सिधौली की तरफ सुनील गये हैं। दिनांक 07.11.2023 को विक्रम ने बताया कि बाबा से बात हुई थी। बाबा काँशा मोड़ थाना महमूदाबाद भेज गये हैं। शाम तक इंतजार कर लो सुनील घर आ जावेगा। अभी तक लड़का सुनील वापस घर नहीं आया। वादिनी मुकदमा के उक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर सम्बन्धित थाना महमूदाबाद में मु०अ०सं० 462/2023 अं० धारा 363 भा.दं.सं. पंजीकृत हुआ। विवेचनोपरांत विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर धारा 364 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूँठा फंसाया गया है। गवाहान ने जिरह में अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया है। सह–अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त गंभीर प्राणघातक बीमारियों से ग्रसित है तथा चलने–फिरने में असमर्थ है इसलिए उसके द्वारा साक्ष्य से छेड़–छाड़ आदि करने की संभावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को विशेष चिकित्सीय देखभाल की जरूरत है जो

कि जेल अस्पताल में संभव नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989)** के मामले में दिये गये न्याय दृष्टांत का लाभ प्रदान किया जाए। उक्त कथन करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया है।

6– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्को को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

7– प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं केस डायरी के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा के बेटे का अपहरण, उसकी हत्या करने के उद्देश्य से, करने का आरोप है। मामले के सह–अभियुक्तगण माया देवी एवं विक्रम उर्फ वीरेन्द्र की जमानत पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त की बीमारी के सम्बन्ध में अधीक्षक, जिला कारागार सीतापुर की रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बंदी के स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है। अधीक्षक, जिला कारागार सीतापुर द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ में जेल चिकित्सक की मेडिकल रिपोर्ट भी संलग्न की गयी है, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि "At present he is admitted at jail hospital Sitapur. He has no bladder and bowel control (not having control on urine and feces). He is not able to sit, stand and walk without help. He can not maintain his personal hygiene. The disease with which he is suffering from is difficult to treat and has poor prognosis (poor future out come of disease)." प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 16.04.2024 से जिला कारागार, सीतापुर में निरुद्ध है।

8– जेल द्वारा प्रेषित आख्या में अभियुक्त का स्वास्थ्य दयनीय दशा में होने की रिपोर्ट दी गयी है। यह अंकित किया गया है कि अभियुक्त चलना तो दूर बैठने में भी असमर्थ है और जेल अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज चल रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के अभिमत में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है और जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त बाबा रामनरेश की तरफ से अपराध संख्या 462/2023, धारा–364 भा०दं०सं०, थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर के मामले में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 360/2026 स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर व धारा 437(3) दं.प्र.सं. के अधीन लगायी गयी निम्न शर्तों के अनुसार उसे जमानत पर रिहा किया जाए–

1–अभियुक्त साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।

2–अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण पर दबाव नहीं बनायेगा तथा मुकदमे के परीक्षण में सहयोग करेगा।

3– जब तक कि अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी विचारण न्यायालय द्वारा माफ नहीं की जायेगी, वह प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

दिनांक–02.04.2026

(मो० सफीक)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
सीतापुर।
J.O.Code-UP6141

Digitally signed by MOHD SAPHEEK
Date: 2026.04.02 13:25:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur